

विक्रित सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के प्रारूप-..... के पेज सं० प्रारूप-1 में आवंटित किया गया
वी-कोड के अनुसार दर/- रूपया प्रति वर्गमीटर वाकै मौजा डड़ियापुरा- द्वारिका
कालौनी तहसील व जिला झाँसी के अनुसार मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित है।

स्टाम्प का कुल योग-/- जिसमें/- रूपया e-Stamp

(Certificate No.) के द्वारा व/- रूपया गैर न्यायिक
स्टाम्प के द्वारा अदा किये गये है।

लेखपत्र का प्रकार

- बैनामा

भूमि का प्रकार

- आवासीय

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित

मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य

-/-

विक्रय मूल्य

-/-

मौजा

- डड़ियापुरा

कालौनी

- द्वारिका कालौनी, झाँसी

सम्पत्ति का प्रकार

- प्लॉट

मापन की इकाई

- वर्गमीटर

सम्पत्ति का क्षेत्रफल

- वर्गमीटर वर्गमीटर

सड़क की स्थिति

- विक्रित प्लॉट बड़ागाँव गेट से सखी के हनुमान को जाने
वाले मार्ग से हटकर 9 मीटर चौड़े रास्ते पर स्थित है।

अन्य विवरण

- विक्रित प्लॉट आराजी नम्बर 171/2 के जुज भाग में स्थित
है।

चौहद्दी -

पूरब

- प्लॉट नम्बर

पश्चिम

- रास्ता मीटर

उत्तर

- प्लॉट नम्बर

दक्षिण

- प्लॉट नम्बर

प्रथम पक्ष की संख्या -

एक

द्वितीय पक्ष की संख्या -

एक

नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष-श्री शशय मंगलम रियलटर्स प्रा०लि०, 79 डी-4, विभव अपार्टमेन्ट,
न्यू आगरा जिला आगरा (पेनकार्ड नम्बर AALCS0067R) द्वारा
प्रतिनिधि श्री ललित मोहन पाराशर पुत्र श्री लक्ष्मीकान्त पाराशर
निवासी-80, गेड़ा इन्क्लेव, पिछोर, तहसील व जिला झाँसी
(पहचान, आधार कार्ड नम्बर 6053 4182 6783 से की गयी है) (मो०नं०
9795381000)

नाम व पता क्रेता द्वितीय पक्ष-श्री

... (पेनकार्ड सं०)

(पहचान, आधार कार्ड सं०)

से की गयी है) (मो०नं०)

सम्पत्ति का विवरण-एक किता आवासीय प्लॉट संख्या वाकै मौजा डड़ियापुरा-

द्वारिका कालौनी तहसील व जिला झाँसी, जिसकी नाप फुट X फुट कुल नाप

..... वर्गफुट यानि वर्गमीटर है। विक्रित प्लॉट में किसी भी प्रकार कोई निर्माण नहीं है।

दस्तावेज हाजा के साथ प्लॉट मुवैया का नक्शा स्कैली संलग्न है जिसमें विक्रित प्लॉट वरंग लाल से

दर्शाया गया है, जो बैनामा का अंश भाग है। विक्रित प्लॉट नजूल नगर निगम, ग्राम सभा या अन्य किसी

ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है। विक्रित प्लॉट की आराजी विक्रेता ने जरिये एक्सचेंज डीड (तबादलानामा)

दिनांक 26-11-2010 ई० को श्री भैयालाल पुत्र श्री पन्नालाल से क्रय की थी जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय

सब रजिस्ट्रार झाँसी में फोटो स्टेट प्रतिपुस्तक सं. I खण्ड सं. 4304 के पृष्ठ 40 पर क्रमांक 7385 पर

दिनांक 27-11-2010 ई० दर्ज है। प्रथम पक्ष द्वारा उक्त विक्रय पत्र के जरिये क्रय की गयी भूमि पर 143

की घोषणा हो चुकी है जिस पर आवासीय कालौनी द्वारिका में विकसित की जा रही जिसका ले-आउट

मानचित्र पत्रांक संख्या/मानचित्र संख्या 160500312 झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी द्वारा दिनांक 20.11.

2013 को स्वीकृत किया जा चुका है। जिसके ले-आउट में स्थित प्लॉट संख्या का विक्रय इस

विलेख के द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

विक्रय मूल्य-...../- प्राप्त कर
 लिया है।
 श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय/- रुपया
 झॉसी द्वारा निर्धारित दर - से अधिक नहीं है।

यह कि मैं विक्रेता उपरोक्त प्लॉट का सम्पूर्ण रूप से मालिक व काबिज हूँ जो कहीं वय अथवा रहिन आदि नहीं हैं यानि हर प्रकार से जुम्लावार किफालत से पाक साफ व बरी हैं मैं विक्रेता उपरोक्त प्लॉट उपरोक्त रकम में उपरोक्त क्रेता को उक्त प्लॉट कतई तौर से विक्रय करता हूँ। कब्जा व दखल मालिकाना उक्त प्लॉट मुवैया पर आप खरीददार को बखूबी आज की तारीख से दे दिया है। अधिकार खरीददार उक्त प्लॉट मुवैया में नव निर्वाण करावें, स्वयं रहें किरायें पर दे, वय व रहिन आदि करें हर प्रकार से मुन्तकिल करें यानि की उक्त प्लॉट को जिस तरह से अपने इस्तेमाल में लावें गर्ज यह है कि जो जी चाहें सो करें। कम्पनी द्वारा दिया गया प्लॉट में भविष्य में जो मकान निर्माण होगा उसका फ्रन्ट एलिवेशन कालौनी की स्कीम के अनुसार होगा जिसकी कम्पनी से पूर्व में स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। मकान का एफ.ए.आर. जे.डी.ए. मानक अनुसार होगा। तथा जल व बिजली के कनेक्शन का भुगतान स्वयं करना होगा व सुरक्षा व्यवस्था व सफाई व्यवस्था दूरसंचार इत्यादि का भुगतान स्वयं करना होगा। व क्रेता भविष्य में कालौनी के नियम व शर्तों का पालन करेगा तथा कालौनी के रख रखाव हेतु निर्धारित मासिक शुल्क का भुगतान करेगा। विक्रेता एवं क्रेता का कथन है कि प्रस्तुत प्रलेख में मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले किसी भी तथ्यों को छुपाया नहीं गया है। सभी तथ्य पूरे-पूरे वर्णित किये गये हैं विक्रित प्लॉट सरकारी सम्पत्ति नहीं हैं और ना ही किसी भी बैंक या विभाग में बन्धक है जिसका वास्तविक कब्जा आज विक्रेता ने क्रेता को दे दिया है लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेता एवं क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर एवं नक्शा नवीस द्वारा बनाये गये 'की-प्लान' मानचित्र के आधार पर यह बैनामा तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम में आवें।

दिनांक :

प्रारूपकर्ता -

टाईपकर्ता :

गवाह (1)

गवाह (2)